मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-5

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

मंगलवार, दिनांक 13 जुलाई, 2004 (आषाढ़ 22, 1926)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा भूतपूर्व सदस्य विधानसभा श्री अजय नारायण मुशरान तथा सुश्री उमा यादव के निधन पर शोकोद्‌गार व्यक्त किये गये।

मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती, नेता प्रतिपक्ष श्रीमती जमुनादेवी, उपाध्यक्ष महोदय श्री हजारीलाल रघुवंशी, सदस्य कुंवर विजय बहादुर सिंह बुंदेला, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा तथा श्री रामलखन शर्मा ने भी शोकोद्‌गार व्यक्त किये।

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्तजन के लिए संवेदना प्रकट की गई।

दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 10.48 बजे 5 मिनट के लिए स्थगित होकर 10.54 बजे पुन: प्रारम्भ हुई।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 13 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 52 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 54 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

3. स्थगन प्रस्ताव

सिवनी जिले के ग्राम भोमाटोला में दिनांक 8 जुलाई, 2004 को घटित सामूहिक बलात्कार की घटना के संबंध में स्थगन प्रस्ताव की श्री हरवंश सिंह, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री रामलखन शर्मा, डॉ. सुनीलम्, श्रीमती सरोज बच्चन नायक, श्री सत्यदेव कटारे, श्री राजेश पटेल, श्री राजनारायण सिंह पुरनी, श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, श्री रविन्द्र सुका महाजन, श्री सज्जन सिंह वर्मा, श्रीमती जमुना देवी, श्री हुकुम सिंह कराड़ा, श्री आरिफ अकील, श्री सोबरन सिंह "बाबूजी", श्री सुखदेव पासे, श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल तथा श्री रामनिवास रावत, सदस्य की सूचनाएं प्राप्त हुई है। जिनमें से श्री हरवंश सिंह, सदस्य की सूचना पहले प्राप्त हुई, जिसे अध्यक्ष महोदय द्वारा पढ़ा गया।

श्री बाबूलाल गौर, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

निम्नलिखित सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री हरवंश सिंह
(1) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा
(2) डॉ. गोविन्द सिंह
(3) श्री रामलखन शर्मा
(4) श्रीमती सरोज बच्चन नायक
(5) श्री राजेश पटेल
(6) श्री राजनारायण सिंह पुरनी
(7) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर
(8) श्री सज्जन सिंह वर्मा
(9) श्री हुकुम सिंह कराड़ा
(10) श्री आरिफ अकील
(11) श्री सोबरन सिंह "बाबूजी"
(12) श्री रामनिवास रावत
(13) श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष

सुश्री उमा भारती, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

माननीय सदस्यों के विचार तथा शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चात अध्यक्ष महोदय ने इसको प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी

(1.10 बजे से 2.48 बजे तक अन्तराल)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारी लाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

4. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री रामलखन शर्मा, सदस्य ने रीवा जिले के सेमरिया अंचल के गांव डाढ़ा, मगड़ा, मड़रिया एवं सिरमौर क्षेत्र के कई गांवों में पेयजल संकट होने,

(2) श्री छत्रपति सिंह, सदस्य ने रीवा जिले के ग्राम पंचायत फूलहरचन्द सिंह के सरपंच द्वारा अनियमितता किये जाने,

(3) श्री बृजेन्द्र तिवारी, सदस्य ने ग्वालियर एवं चंबल संभाग अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों से विद्युत तारों की चोरी होने,

(4) श्री दरबूसिंह उईके, सदस्य ने बालाघाट जिले के अंतर्गत ग्राम प्रतापपुर में हाईस्कूल खोले जाने,

(5) श्री गिरिजा शंकर शर्मा, सदस्य ने होशंगाबाद जिले के सड़क हेतु कृषकों को अधिग्रहित भूमि का मुआवजा न दिये जाने,

(6) श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ़), सदस्य ने रीवा जिले के विकासखंड रामपुर करचुलियान क्षेत्र में विद्युतीकरण हेतु प्रदाय की गई राशि का दुरूपयोग होने,

(7) श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने जिला सहकारी भूमि विकास बैंक मर्या. मुरैना के प्रबंधक द्वारा हितग्राही द्वारा दी गई राशि जमा न करने, तथा

(8) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य ने रीवा जिले के आदिवासी क्षेत्र में विद्युतीकरण न किये जाने संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री कैलाश चावला, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार-

(क) मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम का 40 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2000-2001; तथा

(ख) मध्यप्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 34 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1999-2000, वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2000 के लिये, तथा

(2) डॉ. ढालसिंह बिसेन, परिवहन मंत्री ने रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन एक्ट, 1950 की धारा-33 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लेखे वर्ष 2001-2002 तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन,
पटल पर रखे।

6. ध्यानाकर्षण

(1) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य ने भोपाल के टी.टी. नगर क्षेत्र में बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालय व भवन को किराये पर निजी संस्था को नियम विरूद्ध दिये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्रीमती अलका जैन, राज्यमंत्री स्कूल शिक्षा ने इस पर अपना वक्तव्य दिया।

(2) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, श्री छोटेलाल सरावगी, सदस्य ने शहडोल जिले के अमलाई स्थित ओरियेंट पेपर मिल द्वारा प्रदूषण फैलाये जाने की ओर राज्यमंत्री, आवास एवं पर्यावरण का ध्यान आकर्षित किया।

श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री, आवास एवं पर्यावरण ने इस पर अपना वक्तव्य दिया।

7. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक मंगलवार, दिनांक 13 जुलाई, 2004 को सम्पन्न हुई, जिसमें शासकीय विधेयकों तथा वर्ष 2004-2005 के आय-व्ययक में सम्मिलित मंत्रियों के विभिन्न मांग समूहों के लिए उनके सामने अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है :-

क्र.	शासकीय विधेयक	निर्धारित समय
1.	दण्ड प्रक्रिया संहिता (मध्यप्रदेश संसोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक-8 सन् 2004)	1 घन्टा
2.	भारतीय दण्ड संहिता (मध्यप्रदेश संसोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक-9 सन् 2004)	1 घन्टा

वर्ष 2004-2005 के आय-व्ययक में सम्मिलित मंत्रियों के विभिन्न मांग समूहों के लिए प्रस्तावित समय

क्र. (1)	प्रस्तावक मंत्री (2)	मांग संख्या सेवा या प्रशासन जिससे मांग संबंधित है (3)		निर्धारित समय (4)
1.	सुश्री उमा भारती, मुख्यमंत्री	12	ऊर्जा	
		46	विज्ञान और टेक्नॉलाजी	
		65	विमानन	
		69	सूचना प्रौद्योगिकी	2 घन्टे
		71	जैव विविधता (बायो-डायवर्सिटी) तथा जैव प्रौद्योगिकी (वायोटेक्नॉलाजी)	
		93	त्वरित विद्युत विकास से संबंधित व्यय	
2.	श्री बाबूलाल गौर, मंत्री	3	पुलिस	
		4	गृह विभाग से संबंधित व्यय-अन्य व्यय	
		29	विधि और विधायी कार्य	
		72	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	3 घन्टे
		85	ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-पुलिस	
		88	ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-न्याय प्रशासन	
3.	श्री गौरीशंकर बिसेन, मंत्री	1	सामान्य प्रशासन	
		2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	
		19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	
		61	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें	2 घन्टे
		79	चिकित्सा शिक्षा	
		90	ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	
4.	श्री कैलाश चावला, मंत्री	7	वाणिज्यिक कर	2 घन्टे
		11	वाणिज्य एवं उद्योग	

5.	श्री राघवजी, मंत्री	6	वित्त	
		31	योजना आर्थिक और सांख्यिकी	
		38	रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय	
		60	जिला परियोजना से संबंधित व्यय	
		74	वित्त विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	
		89	ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-वित्त विभाग	
6.	डॉ. ढाल सिंह बिसेन, मंत्री	10	वन	2 घन्टे
		36	परिवहन	
7.	श्री गोपाल भार्गव, मंत्री	13	कृषि	
		17	सहकारिता	
		52	कृषि विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	3 घन्टे
		54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	
8.	श्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री	24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	
		28	राज्य विधान मंडल	
		35	पुनर्वास	
		42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़के और पुल	3 घन्टे
		51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	
		67	लोक निर्माण कार्य-भवन	
		76	लोक निर्माण कार्य से संबंधित नाबार्ड एवं विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	
		94	सिंहस्थ, मेला, 2004 से संबंधित व्यय	
9.	चौधरी चंद्रभान सिंह, मंत्री	44	उच्च शिक्षा	
		47	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण	2 घन्टे 30 मि.
		87	तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण-विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	
10.	श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, मंत्री	30	ग्रामीण विकास	
		56	ग्रामोद्योग	
		59	ग्रामीण विकास से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	
		62	पंचायत	3 घन्टे

		68	ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-पंचायत	
		80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	
		82	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	
11.	श्री हरनाम सिंह राठौर, मंत्री	5	जेल	
		14	पशुपालन	
		16	मछली पालन	2 घन्टे
		50	20 सूत्रीय कार्यान्वयन	
		86	ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-जेल	
12.	श्री ओमप्रकाश धुर्वे, मंत्री	18	श्रम	
		33	आदिम जाति कल्याण	2 घन्टे
		41	आदिवासी क्षेत्र-उपयोजना	
13.	श्री अनूप मिश्रा, मंत्री	23	जल संसाधन	
		27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	
		40	जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय आयाकट	
		45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	
		48	नर्मदा घाटी विकास	
		57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	3 घन्टे
		75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नावार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	
		78	नर्मदा घाटी विकास से संबंधित नावार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	
		91	ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-स्कूल शिक्षा	
		95	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	
14.	श्री अंचल सोनकर, मंत्री	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	2 घन्टे

15.	श्री दिलीप भटेरे, मंत्री	8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	
		9	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	
		58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2 घन्टे
		84	ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-राजस्व	
		63	अल्पसंख्यक कल्याण	
		66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	
16.	श्री जयंत मलैया, मंत्री	22	नगरीय प्रशासन एवं विकास-नगरीय निकाय	
		53	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	1 घन्टा
		81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	
		83	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	
17.	कुंवर विजय शाह, मंत्री	26	संस्कृति	
		37	पर्यटन	
		70	ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत विशेष समस्या-पर्यटन	1 घन्टा
		92	ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-संस्कृति	
18.	श्री रूस्तम सिंह, मंत्री	43	खेल और युवक कल्याण	1 घन्टा
		77	ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत विशेष समस्या-खेल एवं युवक कल्याण	
19.	श्रीमती अर्चना चिटनिस, मंत्री	34	समाज कल्याण	1 घन्टा 30 मि.
		55	महिला एवं बाल विकास	
20.	श्री सुनील नायक , राज्यमंत्री	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2 घन्टे
21.	श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री	21	आवास एवं पर्यावरण	1 घन्टा
		73	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	
22.	श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, राज्यमंत्री	25	खनिज साधन	1 घन्टा
		32	जनसंपर्क	

23.	श्री गोपीलाल जाटव, राज्यमंत्री	15	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनांतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	1 घन्टा
		49	अनुसूचित जाति कल्याण	
		64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अभी उपाध्यक्ष महोदय ने शासकीय विधेयकों एवं वित्तीय कार्य पर चर्चा के लिए समय निर्धारण के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

8. सभापति तालिका की घोषणा

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि पूर्व में सभापति तालिका हेतु नाम निर्दिष्ट सदस्य श्री जयंत मलैया एवं श्री लक्ष्मीकांत शर्मा को मंत्रिपरिषद में शामिल किये जाने के फलस्वरूप अब मैं, मध्यप्रदेश विधान सभा के वर्तमान सत्र हेतु सभापति के लिए निम्नलिखित सदस्यों को नाम निर्दिष्ट करता हूं :-

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्रा
(2) श्रीमती सुधा जैन
(3) सुश्री कुसुम सिंह
(4) श्री हिम्मत कोठारी
(5) श्री हरवंश सिंह
(6) श्री इन्द्रजीत कुमार

9. याचिकाओं की प्रस्तुति

सुश्री कुसुम सिंह, सदस्य ने पन्ना जिले के -

(क) ग्राम पंचायत पुराना पन्ना में नाले पर पुलिया बनाये जाने,
(ख) पन्ना शहर के इन्द्रपुरी कालोनी एवं जगात चौकी वार्ड में पेयजल टंकी बनाये जाने,
(ग) ग्राम सिंहपुर स्थित माध्यमिक शाला का उन्नयन कराये जाने, तथा
(घ) पन्ना शहर में वाणिज्यिक कर कार्यालय खोले जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत की।

10. समितियों का निर्वाचन

लोक लेखा, प्राक्कलन तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों के लिए निर्वाचन

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि :-

" सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 221 के उपनियम (3), नियम 223 के उपनियम (1) तथा नियम 223-क के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए क्रमशः लोक लेखा, प्राक्कलन तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों के सदस्य होने के लिए अपने में से 11-11 सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिये निर्वाचन

(2) श्री ओमप्रकाश धुर्वे, आदिम जाति कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि :-

" सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 234-क के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वर्ष 2004-2005 के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य होने के लिए अपने में से 15 सदस्यों के निर्वाचन के लिए (जिनमें क्रमशः चार-चार सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के हों) अग्रसर हों."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

11. समितियों के निर्वाचन का कार्यक्रम

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समितियों के निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

(1) नाम निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में बुधवार, दिनांक 14 जुलाई, 2004 को अपराह्न 2.00 बजे तक दिए जा सकते हैं।

(2) नाम-निर्देशन प्रपत्रों की जांच गुरूवार, दिनांक 15 जुलाई, 2004 को अपराह्न 3.00 बजे से होगी।

(3) उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना सोमवार, दिनांक 19 जुलाई, 2004 को अपराह्न 2.00 बजे तक इस सचिवालय में दी जा सकती है।

(4) निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान, मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई, 2004 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक होगा।

(5) निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जायेगा।

उपर्युक्त निर्वाचनों हेतु अभ्यार्थियों के नाम प्रस्तावित करने एवं उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं।

12. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री कैलाश चावला, वाणिज्यिक कर मंत्री ने भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

13. वर्ष 2004-2005 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

वर्ष 2004-2005 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह
(2) डॉ. नरोत्तम मिश्रा
(3) श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा
(4) श्री रामलखन शर्मा

(चर्चा अपूर्ण)

5.02 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 14 जुलाई, 2004 (आषाढ़ 23, 1926) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.